

Class - M.A. With Sem. CBCS

Papers - Indian Economy

Topic - ~~Atom Splitting~~ Budget

Teacher - Dr. Dharmendra Singh

अध्याय : 10

बजट : आशय एवं प्रकार [Budget : Concept and Types]

देश की अर्थव्यवस्था में बजट का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सरकार वित्तीय प्रशासन बजट के माध्यम से ही करती है। एक प्रकार से बजट वित्तीय प्रशासन का केन्द्र बिन्दु होता है। बजट के द्वारा ही सरकार वित्तीय प्रशासन सम्बन्धी सिद्धान्तों को कार्यान्वित करती है तथा अपनी आय, व्यय एवं ऋण सम्बन्धी नीतियों को व्यावहारिक रूप प्रदान करती है। अतः बजट क्या होता है तथा उसके प्रकार कौन-कौन से हैं आदि तथ्यों को समझना आवश्यक हो जाता है।

बजट का आशय [Concept of Budget]

बजट की व्युत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द 'ब्यूजे' (Bouguette) से हुई है जिसका अर्थ होता है 'चमड़े का एक छोटा सा थैला'। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग इंग्लैण्ड में उस चमड़े के थैले के लिए किया जाता था जिसमें खजाने के कोर्ट की मोहर रखी जाती थी। बाद में इसे वित्तमन्त्री के उस थैले के लिए प्रयोग किया जाने लगा जिसमें सरकारी व्ययों को पूरा करने के प्रस्ताव होते थे। यह प्रस्ताव लोकसभा में रखे जाने तक गुप्त रखने की परिपाटी रही है। इस प्रकार, बजट एक ऐसा थैला है जिसके भीतर की वस्तुएँ अज्ञात रहती हैं। वर्तमान में बजट से आशय थैले के स्थान पर उसमें रखे उस दस्तावेज से होता है जिसमें एक निश्चित समयावधि हेतु देश के आय-व्यय का अनुमानित ब्यौरा होता है और वित्तमन्त्री उसे संसद में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करता है।

रैने स्ट्रोन के अनुसार, "बजट एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें सार्वजनिक आय एवं व्यय की एक प्रारम्भिक प्रस्तावित योजना होती है।"

गैस्टन जेजी के अनुसार, "आधुनिक राज्य में बजट एक पूर्व कल्पना है और सभी सार्वजनिक आयों तथा व्ययों का एक अनुमान है, तथा विशिष्ट व्ययों तथा आयों के लिए धन एकत्रित करने तथा उनको व्यय करने का आदेश है।"

विलॉबी के शब्दों में, "बजट एक ही साथ एक रिपोर्ट, एक अनुमान तथा एक प्रस्ताव होता है। यह एक ऐसा प्रपत्र है जिसके द्वारा वित्तीय प्रशासन की सभी प्रक्रियाओं को सम्बन्धित किया जाता है, एक-दूसरे की तुलना की जाती है तथा उनके बीच समन्वय स्थापित किया जाता है।"

इस प्रकार कहा जा सकता है कि बजट एक ऐसा वित्तीय एवं पारिमाणिक विवरण है जो एक निश्चित समय के लिए पूर्वानुमानित होता है, जिसमें इस समयावधि के अन्तर्गत निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनायी जाने वाली नीति दी होती है।

बजट के आवश्यक तत्व

सरकार विभिन्न विभागों के विगत, चालू व आने वाले वित्तीय वर्ष का वार्षिक वित्तीय वितरण अर्थात् बजट तैयार करके उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करती है। भारत में प्रतिवर्ष यह बजट लोकसभा व राज्यसभा के समक्ष फरवरी माह के अन्तिम कार्यकारी दिवस पर पेश किया जाता है। संसद से बजट अनुमोदित

हो जाने के पश्चात् ही सरकार इसको क्रियान्वित कर सकती है। सरकार जब बजट तैयार करती है :

(1) बजट का आधार रोकड़ राशि—बजट को बहीखाते के आधार पर तैयार ने भवित्व में आधार पर बनाया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, बजट के समस्त आय-व्यय रोकड़ राशि में सरकार की वास्तविक स्थिति का पता चलता है।

(2) सकल राशि—बजट में आय-व्यय की सकल राशि दिखायी जाती है। दूसरे शब्दों में करने में होने वाले व्यय को आय में से घटाकर नहीं दिखाया जाता है। कुल आय एक ओर तथा दूसरी ओर दिखाया जाता है। इससे बजट बनाने तथा उसे क्रियान्वित करने में समन्वय बन रहा है।

(3) समस्त क्रियाओं का एक बजट—सरकार की सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाओं के लिए बनाया जाना चाहिए। इससे देश की वास्तविक आर्थिक दशा का सही अनुमान लगाना सम्भव होता है।

(4) व्यय समाप्ति नियम—बजट में जो राशि जिस कार्य के लिए आवणिट की जाती है वह बनाया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है या इसमें से कुछ राशि बच जाती है तो अगले वित्तीय वर्ष के लिए व्यय निर्धारित होता है।

(5) अनुमान वास्तविकता के निकट—बजट में जो अनुमान लगाये जाते हैं वह वित्तीय वर्ष में उस कार्य में व्यय हो जानी चाहिए। बजट अनुमान का वास्तविकता से बहुत अन्तर होने समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। अतः बजट अनुमान यथार्थता के धरातल पर लगाये जाने चाहिए।

(6) बजट अवधि—बजट एक निश्चित समयावधि सामान्यतः एक वर्ष की अवधि के लिए जाना चाहिए। इससे जनप्रतिनिधि सरकार के कार्यों का प्रतिवर्ष अवलोकन कर सकते हैं।

(7) लेखों की समानता—संघीय वित्तीय व्यवस्था में केन्द्र व राज्यों के लेखों में समानता होनी चाहिए। इससे विभिन्न राज्यों में वित्तीय प्रशासन की विधि समान रहती है और उसका तुलनात्मक अध्ययन रखना आसान हो जाता है।

(8) मदों के प्रकार—बजट की आय-व्यय की मदों को आगम व पूँजीगत मदों में विभाजित करना चाहिए।

नियोजन एवं बजट में अन्तर

यद्यपि नियोजन व बजट दोनों निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु भविष्य से सम्बन्धित होते हैं इनमें अन्तर होता है। नियोजन में योजना आर्थिक व भौतिक दोनों दृष्टियों से बनायी जाती है, परन्तु बजट में ऐसा अनिवार्य नहीं होता है। बजट प्रत्येक अगले वित्तीय वर्ष के लिए बनाया जाता है परन्तु नियोजन के लक्ष्य बजट के माध्यम से ही प्राप्त किये जाते हैं। नियोजन बजट के माध्यम से ही बढ़ जाता है।

बजट का महत्व [Importance of Budget]

बजट सरकार के वित्तीय प्रशासन का केन्द्र-बिन्दु होता है। यह राजकोषीय नीति को लागू करका जा रहा है। यह सार्वजनिक अर्थशास्त्र का केन्द्र-बिन्दु बन गया है। बजट के महत्व को निम्नलिखित से समझा जा सकता है :

(1) आर्थिक नियन्त्रण का साधन—बजट के माध्यम से संसद सार्वजनिक कोषों की प्राप्ति और विभिन्न विभाग एवं मंत्रालय मनमाने ढंग से कार्य करने लगेंगे तथा सार्वजनिक कोषों का समुचित उपयोग हो पायेगा।

(2) हिमाबदेयता का उद्देश्य—एक प्रजातान्त्रिक देश में सरकार जनता के प्रति हिसाबदेयता के लिए उत्तरदायी होती है। जनता के जनप्रतिनिधियों को इस बात को जानने का अधिकार होता है कि सार्वजनिक धन का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है तथा इससे पूर्व स्वीकृतियों का पालन किया गया या नहीं? बजट के माध्यम से इस उद्देश्य की आपूर्ति सम्भव हो जाती है।

(3) आर्थिक व सामाजिक उन्नति का साधन—बजट केवल आय-व्यय का वितरण मात्र न होकर उन्नति सम्भव होती है। सरकार अपनी कर, व्यय व ऋण नीति के द्वारा आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय अधिक व्यय करके सहायता प्रदान की जा सकती है, इसके विपरीत अवांछनीय क्षेत्रों पर अधिक कर लगाकर तथा व व्यय न करके उन्हें हतोत्साहित किया जा सकता है। इसी आधार पर सम्पन्न वर्ग पर अधिक कर लगाकर तथा निर्धन वर्ग पर व्यय करके सामाजिक न्याय प्राप्त करने में मदद मिलती है।

(4) आर्थिक स्थिरता का साधन—बजट आर्थिक स्थिरता बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता आर्थिक उच्चावचन का होना पाया गया है। इन उच्चावचनों को कम करने में बजट महत्वपूर्ण साधन होता है। उदाहरणार्थ, तेजी काल में सरकार अधिक्य का बजट अर्थात् अधिक प्रदीकाल में सरकार घाटे का बजट अर्थात् कम आय व अधिक व्यय का बजट बनाकर भुद्रा की आपूर्ति बढ़ाकर कारण होती है, अतः बजट के माध्यम से मूल्यों को स्थायित्व प्रदान करके रोजगार व राष्ट्रीय आय में आने वाली

(5) प्रशासकीय कुशलता का साधन—बजट में प्रत्येक क्षेत्र एवं विभाग की आवश्यकताओं का अनुमान लगाकर उसके अनुसार व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तत्पश्चात् व्यय स्वीकृतियों के उत्तरदायित्व को स्पष्ट कर देता है और इससे प्रशासकीय कुशलता बनाये रखने में मदद मिलती है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि बजट प्रशासन की धुरी होता है तथा वित्तीय व्यवस्था बनाये रखने में मदद करता है। यह आर्थिक व सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण यन्त्र है।

बजट के प्रकार

[Types of Budget]

विभिन्न आधारों पर बजट निम्नलिखित प्रकार का होता है :

(I) राजस्व बजट तथा पूँजीगत बजट (Revenue Budget and Capital Budget)

मर्दों के आधार पर बजट को दो भागों में बांटा जाता है—राजस्व बजट तथा पूँजीगत बजट। दोनों ही बजटों में आय-व्यय की मर्दें होती हैं। इनका विवरण निम्न प्रकार है :

(I) राजस्व बजट—राजस्व बजट में सरकार को कर आगम तथा गैर-कर आगम से होने वाली आय तथा इन आगमों से होने वाले व्ययों को दर्शाया जाता है। कर-राजस्व या आगमों में केन्द्र सरकार द्वारा लगाये गये प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों तथा अन्य शुल्कों से प्राप्त होने वाली प्राप्तियाँ शामिल होती हैं। गैर-कर राजस्व में सार्वजनिक उपकरणों, व्याज प्राप्तियों, सरकार द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं आदि से होने वाली आय को दर्शाया जाता है। राजस्व बजट में किया जाने वाला व्यय सामान्यतः प्रशासनिक कार्यों एवं विभिन्न सेवाओं के संचालन तथा सरकार द्वारा लिये गये ऋण पर व्याज भुगतान होता है। कर संग्रह व्यय भी इसी में शामिल होता है।

केन्द्रीय सरकार के राजस्व बजट में शामिल की जाने वाली प्रमुख मर्दें अग्र तालिका में दर्शाई गयी हैं:

राजस्व प्राप्तियाँ

(1) कर आगम

निगम कर, व्यक्तिगत आयकर, सम्पत्ति कर, छाज कर, सौमा शुल्क, संघीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, संघ शासित क्षेत्रों के कर तथा अन्य कर

(2) गैर-कर आगम

- (i) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा शुद्ध योगदान
- (ii) ब्याज प्राप्ति—राज्यों, संघ शासित राज्यों, रेलवे, दूरसंचार इत्यादि से
- (iii) राजकोषीय सेवाएँ—करेन्सी एवं टकसाल आदि से आय।
- (iv) सामान्य सेवाओं (सुरक्षा प्राप्तियाँ छोड़कर) से आय
- (v) सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं से आय
- (vi) आर्थिक सेवाओं से आय
- (vii) बाह्य अनुदान—उपकरण एवं नकद सहायता

राजस्व व्यय

(1) गैर-योजना व्यय

- (i) ब्याज भुगतान
- (ii) सुरक्षा सेवाएँ
- (iii) राज्य के अंग—न्याय, चुनाव, अन्य
- (iv) राजकोषीय सेवाएँ—कर संग्रहण एवं टकसाल इत्यादि
- (v) प्रशासनिक सेवाओं पर व्यय
- (vi) पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति तथा
- (vii) अन्य देशों के साथ तकनीकी सहयोग पर व्यय
- (viii) स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति
- (ix) नियन्त्रित कपड़े पर अनुदान
- (x) भारतीय खाद्य निगम को अनुदान
- (xi) संघीय प्रदेशों को अनुदान
- (xii) सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण
- (xiii) अन्य

(2) योजनागत व्यय

- (i) सामाजिक एवं सामुदायिक व्यय—शिक्षा, कला एवं संस्कृति, सेवाएँ एवं अनुसन्धान, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं जल आपूर्ति, परिवहन, आवास, शहरी विकास, प्रसार, रोजगार, सूचना एवं प्रचार।
- (ii) आर्थिक सेवाओं पर व्यय—वित्तीय एवं निर्यात संबंधन, सहकारिता एवं उद्योग एवं खनिज पर व्यय
- (iii) कृषि एवं सहायक सेवाओं पर व्यय
- (iv) उद्योग एवं खनिज पर व्यय
- (v) उर्वरक अनुदान
- (vi) विद्युत, सिंचाई एवं बाह्य नियन्त्रण
- (vii) परिवहन एवं संचार पर व्यय
- (viii) सार्वजनिक कार्यों पर व्यय
- (ix) राज्यों व संघीय प्रदेशों को सामाजिक प्रावधानों के अधीन तथा रेलवे वाहनों पर कर के बदले में

(4) विविध व्यय